MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY
Bhatahat, Gorakhpur Uttar Pradesh, India
vc@mggaugkp.ac.in www.mggaugkp.ac.in
Office No.: 0551-2989819

सं0 / AULA037/MGGAU/ 2026–27 /

Ref.................... –:सम्बद्धता आदेश::– Date:..............................

असाधारण गजट नोटिफिकेशन सं0 420/79–वि–1–20–1(क)–8–2020 लखनऊ, दिनांक 12.03.2020 एवं संशोधित असाधारण गजट नोटिफिकेशन सं0 76/79–वि–1–21–2(क)–1–2021 लखनऊ दिनांक 09.01.2021 द्वारा महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर अधिनियम–2020 के अध्याय–2 की धारा–5(घ) व अध्याय–5 की धारा–28 के क्रम में कॉलेज कोड संख्या **AULA037 राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय झांसी** द्वारा आनलाइन भरे गये सम्बद्धता फार्म तथा मा0 कुलपति जी द्वारा प्राप्त अनुमोदन दिनांक–27.04.2026 के आधार पर मा0 कार्य परिषद के सहमति की प्रत्यशा में निम्नलिखित पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2026–27 हेतु अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान कि जाती हैं–

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	सीट
1.	बी.ए.एम.एस.	75 सीट (ई0डब्लू0एस0 सहित)

सम्बद्धता की शर्ते निम्नवत् होंगी –

1. संस्था/महाविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.आई.एस.एम.),आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर दिये गये मानकों/निर्देशों का शत्–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित सीट पर ही व प्रवेश अनुमति के बिना महाविद्यालय में प्रवेश नहीं किया जायेगा।
2. संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन/विश्वविद्यालय के संविधिक निकाय के निर्गत आदेशों/निर्देशों का विश्वविद्यालय। के अधिनियम एवं उ0प्र0 शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगी।
3. संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लिया जायेगा तथा आयुष महाविद्यालय में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था द्वारा सत्र–2026–27 में आवेदित सीटों की सम्बद्धता प्राप्त होने के उपरान्त यदि एन.सी.आई.एस.एम. नई दिल्ली द्वारा सत्र–2026–27 में सीटों की कमी की जाती है तो काउंसिलिंग के माध्यम से उतनी ही सीटो पर छात्रो का प्रवेश लिया जायेगा अथवा यदि सीटों में यदि बढ़ोत्तरी की जाती है तो विश्वविद्यालय में बढ़ी हुई सीटों की सम्बद्धता प्राप्त करने के उपरान्त ही काउंसिलिंग के माध्यम से बढ़ी हुई सीटों पर छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा।
5. संस्था को एन.सी.आई.एस.एम. नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होने के पूर्व यदि निर्धारित मानक में किसी कारणवश कमी होती है तो तीन दिवस के अन्दर कुलसचिव को सूचित किया जायेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा कालेज का निरीक्षण कभी भी कराया जा सकता है।
6. एन.सी.आई.एस.एम. नई दिल्ली द्वारा किसी कारणवश यदि संस्था को मान्यता नही प्रदान किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सत्र 2026–27 का सम्बद्धता आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा सीटों कम किये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया सत्र 2026–27 का सम्बद्धता आदेश एन.सी.आई.एस.एम. नई दिल्ली से प्राप्त सीटों की मान्यता तक मान्य होगा।

(अजीत कुमार जायसवाल)
कुलसचिव

सं0 / AULA037/MGGAU/ 2026–27 / 72(8) दिनांक– 28/04/2026

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आयुष मंत्रालय भारत सरकार, दिल्ली।
2. सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.आई.एस.एम.)।
3. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल / कुलाधिपति उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, आयुष उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
5. निदेशक, आयुर्वेदिक सेवाएं उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम व मूल्याकंन) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. परीक्षा नियंत्रक, आयुष विश्वविद्यायल के अवलोकनार्थ।
8. प्राचार्य / अधीक्षक राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, झांसी।
9. निजी सचिव, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

(अजीत कुमार जायसवाल)
कुलसचिव